संख्याः /XXVii(7)50(16)/2016

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. सचिव,
श्री राज्यपाल,उत्तराखण्ड,देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–7 **देहरादून : दिनांक 27 जून, 2016**

विषयः **राज्याधीन सेवाओं में नियुक्त कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किये जाने हेतु कार्मिकों के वेतनमान एवं अन्य भत्तों की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि केन्द्रीय सातवें वेतन आयोग द्वारा भारत सरकार को प्रेषित संस्तुतियों के कम में राज्य सरकार के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किये जाने हेतु राज्य सरकार ने संकल्प संख्या 07/xxvii (7)50(16)/2014, दिनांक 14 जनवरी, 2016 द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया है।

2. उक्त संकल्प में निर्धारित कार्यों की पूर्ति तथा अपेक्षित संस्तुतियों को राज्य सरकार को समय पर उपलब्ध कराने के लिए वेतन समिति को अध्ययन हेतु राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्मिकों के पदनाम/वेतनमान/ग्रेड वेतन एवं अन्य भत्ते इत्यादि की सूचनाओं की तत्कालिक आवश्यकता है। यह सूचना इस हेतु तैयार किये गये साफ्टवेयर के माध्यम से एकत्र की जानी प्रस्तावित है।

3. राज्य एन0आई0सी0 एवं निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकादारी के वित्तीय डेटा सेंटर की सहायता से उक्त कार्य हेतु तैयार किये गये साफ्टवेयर के माध्यम से सूचना दी जानी है। सभी आहरण वितरण अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा साफ्टवेयर के माध्यम से वेतन समिति को उल्लिखित सूचनाओं/विवरणों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया निम्नवत् है :–

(1) वर्तमान में सभी आहरण वितरण अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष अपने अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त देयकों को कोषागार में पारित कराने हेतु **कोषागार के पोर्टल ekosh.uk.gov.in**

का उपयोग कर रहे हैं। इसी पोर्टल का प्रयोग वेतन समिति को उपलब्ध करायी जाने वाली सूचनाओं के लिए भी किया जाना है।

(2) सर्वप्रथम आहरण वितरण अधिकारी ekosh.uk.gov.in में उन्हें पूर्व से प्राप्त login id एवं पासवर्ड का प्रयोग करके पोटर्ल खोलेगे। पोटर्ल में बायीं ओर नीचे "वेतन समिति" के आपशन को क्लिक करके सृजित पद, भरे पद, रिक्त पद, पदों की श्रेणी, पद सृजन का शासनादेश आदि अपेक्षित डेटा की इन्ट्री ध्यानपूर्वक सही रूप में करेंगे। डेटा की इन्ट्री का कार्य पूर्ण होने पर save करके logout करेंगे।

(3) आहरण वितरण अधिकारी को स्क्रीन में अधिकांश सूचनायें मास्टर डेटा में स्वतः दिखायी देगी, जिसे उन्हें पूछे गये विकल्प के अनुसार जो सही हो, पर क्लिक करके अपडेट किया जायेगा। पदों के सृजन से सम्बन्धित शासनादेश एवं सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता आदि जैसी सूचनाओं को अपने स्तर से भरा जाना अपेक्षित है।

(4) आहरण वितरण अधिकारी के द्वारा उक्त पोर्टल में की गयी डेटा इन्ट्री का परीक्षण विभागाध्यक्ष स्तर पर किया जायेगा। इसके लिए विभागाध्यक्ष उन्हें पूर्व में उपलब्ध कराये गये login id एवं पासवर्ड का प्रयोग करके ekosh.uk.gov.in पोर्टल को खोलेंगे तथा वेतन समिति के आपशन में जाकर क्लिक करेंगे। वेतन समिति के आपशन को क्लिक करते ही इसके नीचे आहरण वितरण अधिकारीवार भरी गयी सूचनओं को स्क्रीन पर देखने का आपशन मिलेगा जिसे क्लिक करते ही सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को उसके अधीनस्थ समस्त आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा भरी गयी सूचनाओं का विवरण दिखायी देगा। सूचनाऐं सही पाये जाने पर विभागाध्यक्ष को प्रत्येक आहरण वितरण अधिकारी की सूचना को अप्रूव (Aprove)के आपशन में जाकर अप्रूव करना अनिवार्य होगा। सूचना गलत होने पर विभागाध्यक्ष स्तर पर डिसअप्रूव (Disaprove) किया जायेगा। डिसअप्रूव होने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को इससे अवगत कराते हुए सूचना सही रूप में पुनः इन्ट्री करने के लिए निर्देशित किया जायेगा, जिसे बाद में सही पाये जाने पर विभगाध्यक्ष स्तर पर इसे अप्रूब किया जायेगा एवं तद्पश्चात save करके logout किया जायेगा।

(5) आहरण वितरण अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष के स्तर से डेटा इन्ट्री एवं अप्रूव करने का कार्य पूर्ण होने पर सिस्टम से समस्त डेटा स्वतः ही वेतन समिति के उपयोगार्थ कोषागार पोर्टल पर संरक्षित हो जायेगा।

(6) वेतन समिति को उक्त पोर्टल पर कार्य करने हेतु वित्तीय डेटा सेंटर से प्रथम बार पृथक से login id एवं पासवर्ड दिया जायेगा। इसकी सहायता से वेतन समिति के सदस्य/अधिकारी पोर्टल पर आहरण वितरण अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों से सम्बन्धित समस्त अपेक्षित सूचनाओं की विभिन्न प्रकार की रिर्पोट प्राप्त कर सकेंगे।

(7) समस्त आहरण वितरण अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष उक्त कार्य हेतु प्रयोग में लाये जा रहे अपने login id एवं पासवर्ड का उपयोग करने तथा इसकी सुरक्षा हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(8) वेतन समिति का ई–मेल पता vetansamiti-uk@gov.in है। विभागाध्यक्ष अपने यहाँ के पद सृजन के शासनादेशों तथा कार्मिकों को अनुमन्य अन्य भत्तों के समस्त शासनादेशों को उक्त ई–मेल पते पर वेतन समिति को अनिवार्य रूप से ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

(9) सभी आहरण वितरण अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष स्वंय का सरकारी ई–मेल पता वेतन समिति को ई–मेल के माध्यम से तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा यह भी अपेक्षित है कि भविष्य में वेतन समिति से सभी प्रकार का पत्राचार ई–मेल के माध्यम से किया जाय।

उक्त के कम में आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों को उक्त सूचनायें साफ्टवेयर के माध्यम से वेतन समिति को प्रत्येक दशा में दिनांक 15 जुलाई, 2016 से पूर्व उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या:45/XXVII(7)50(16)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
2. सदस्य सचिव, वेतन समिति, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।